न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 86/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मेघाराम पुत्र लाभुराम 2. रूखमों देवी पत्नी लाभुराम (जाति जाट, निवासी पोटलियासर (सरनू चिमनजी) तह0 व जिला बाडमेर)		1. अमेदाराम पुत्र चेतनराम जाट 2. पाबूराम पुत्र चेतनराम जाट 3. अणदाराम पुत्र चेतनराम जाट 4. खीयाराम पुत्र चेतनराम जाट 5. अमराराम पुत्र जेठाराम जाट 6. जोगाराम पुत्र कालुराम नाई 7. फूसाराम पुत्र केशाराम ब्राह्मण 8. जेठाराम पुत्र केशाराम ब्राह्मण 9. पुरखाराम पुत्र लालाराम जाट 10. वरजू पत्नी लालाराम जाट 11. वालाराम पुत्र लाभूराम जाट 12. नानगाराम पुत्र लाभुराम जाट (निवासीगण पोटलियासर (सरनू चिमनजी) तह0 व जिला बाडमेर) 13. चम्पाराम पुत्र जवाराराम दर्जी 14. नरसिंगाराम पुत्र जवाराराम दर्जी 15. इन्द्राराम पुत्र जवाराराम दर्जी 16. बाबुराम पुत्र जवाराराम दर्जी (निवासी सरनू भीमजी, तह0 व जिला बाडमेर) 17. पुनमाराम पुत्र खूमाराम जाट 18. राणाराम पुत्र खूमाराम जाट 19. हरखू देवी पत्नी खूमाराम जाट 20. मलाराम पुत्र फूसाराम जाट 21. रायचन्दराम पुत्र फूसाराम जाट 22. उमाराम पुत्र फूसाराम जाट 23. भैराराम पुत्र आईदानराम जाट 24. भंवराराम पुत्र आईदानराम जाट 25. अचलाराम पुत्र आईदानराम जाट 26. पैम्पो देवी पत्नी आईदानराम जाट 27. रायमलराम पुत्र गोमदाराम नाई 28. जेठाराम पुत्र गोमदाराम नाई 29. खेताराम पुत्र चिमाराम नाई 30. अमराराम पुत्र चिमाराम नाई 31. चूनाराम पुत्र हैराजराम नाई 32. मंगलाराम पुत्र हैराजराम नाई 33. वीरमाराम पुत्र हैराजराम नाई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

(निवासी पोटलियासर (सरनू चिमनजी) तह0 बाडमेर)

34. ठाकराराम पुत्र रामूराम जाट
35. कोजाराम पुत्र रामूराम जाट
36. मालाराम पुत्र रामूराम जाट
    (निवासी इन्द्रा नगर, (सरनू पजनी) तह0 बाडमेर)
37. रामलाल पुत्र अमीचन्द जैन
38. खेतमल पुत्र अमीचन्द जैन
    (निवासी सरनू भीमजी, तह0 व जिला बाडमेर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर, राजस्व आवेदन संख्या 53/2018 दिनांक 27.12.2018

उपस्थित–

1. श्री एम0एल0खत्री, वकील अपीलांट्स
2. रेस्पोडेंटगण बावजूद अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 18.06.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4–अमेदाराम वगैरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील बाडमेर के ग्राम पोटलियासर स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 157 रकबा 0.05 बीघा, ख0नं0 158 रकबा 89.06, ख0नं0 171 रकबा 49.01 बीघा, ख0नं0 195 रकबा 30 बीघा कुल खसरा 4 कुल रकबा 168.13 बीघा भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु अपीलांट–विप्रार्थीगण–अमराराम वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2018 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4 की उल्लेखित खसरान की भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

रेस्पो0 बावजूद सूचना व नोटिस के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इकतरफा बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स – विप्रार्थी सं0 9 व 10 ग्राम पोटलियासर के खसरा नं0 195/372, 215, 216 व 217 पर काबिज काश्त एवं रेकर्डेड सह–खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उनकी खातेदारी भूमि अन्य विप्रार्थीगण के सेढा–सेढ स्थित होने तथा उनके बीच सीमा चिन्ह या कोई पक्की माठ नही होने से वर्षा ऋतु में सेढो को लेकर विवाद रहने से मौका फर्द पैमाईश के अनुसार पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया गया। प्रकरण में विप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल प्रर्याप्त मानते हुए अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जबकि उक्त नोटिस उन्हें विधिवत तामिल नही करवाये गये और न ही नोटिस प्राप्ति के संबंध में कोई दस्तावेज (ए.डी.) अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पेश करने से पूर्व प्रार्थी के उल्लेखित खसरान की भूमि का सीमाज्ञान नही करवाया गया, जबकि नेखमबंदी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व सीमा ज्ञान करवाया जाना आवश्यक है। प्रकरण में पडौसी खातेदारान से सीमा विवाद होने व मौके पर प्रार्थी की जमीन कम होने तथा राजस्व रेकर्ड में अधिक होने के कारण उसकी पूर्ति अपीलार्थीगण के खातेदारी भूमि मे से करने के उद्धेश्य से नेखमबंदी का आदेश पारित करवाया गया है। जबकि ऐसे प्रकरणों का निस्तारण नियमित वाद से ही किया जा सकता है।

इसके अलावा उक्त गांव में कांकड (पडौसी गांव की सीमा) का विवाद चल रहा है। जिसका निस्तारण केवल मात्र दोनो कांकडों (पडौसी गांवो) के राजस्व अधिकारी/कार्मिकों की टीम बनाकर नेखमबंदी की जा सकती है। जबकि उक्त प्रकरण में ऐसा नही कर केवलमात्र प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 4 के खसरान का नाप

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करवाया गया है, जिससे अपीलार्थीगण के खातेदारी की 24 बीघा भूमि रेस्पो0सं0 1 से 4 की खेत खसरा में जा रही है। इससे अपीलार्थीगण के पडौसी खसरान की पूर्व में की गई नेखमबंदी भी प्रभावित हो रही है व इससे पूरा गांव प्रभावित हो रहा है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन खसरान की सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट का अभाव पाया गया, जो कि विधि अनुसार नेखमबंदी की कार्यवाही से पूर्व आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2018 निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त उल्लेखित खसरान का सीमांकन एवं पक्की नेखमबंदी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पक्के नेखमबंदी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 18 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

18.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर